

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक- 30/5/25

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-62/2024 श्र०सं०.....24...../श्री सुधांशु कुमार, उप श्रमायुक्त, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 24.02.2025 से 05.03.2025 तक कुल 10 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरान्त श्री सुधांशु कुमार के पक्ष में दिनांक 06.03.2025 तक कुल 290 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार यादव)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-62/2024.....24...../श्र०सं० पटना, दिनांक-30/5/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा० नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्री सुधांशु कुमार, उप श्रमायुक्त, भागलपुर एवं आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव